नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 53/2019
दायर दिनांक 05/09/2019
निर्णय दिनांक 31/12/2020

अनवान

1. राकेश कुमार पुत्र श्री सुर्यप्रकाश ब्राहम्ण निवासी बनेडा तहसील बनेडा हाल मुकाम भीलवाडा जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. जेठु दरोगा पिता माधु दरोगा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज0
2. शंकर पिता माधु दरोगा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज0
3. लाली पत्नि पप्पू दरोगा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मुरारी जोशी वादी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

1. प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता द्वारा ने दिनांक 05.09.2019 को एक वाद विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चमनपुरा पटवार क्षेत्र चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 416 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा , आराजी नम्बर 419 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा आराजी नम्बर 420 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा , आराजी नम्बर 1447/416 रकबा 01 बिस्वा कुल खसरा 04 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि एकल खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है । जिसकी वादी द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी से विधिक आदेश दिनांक 17–04–2018 लेकर दिनांक 16–07–2019 को भु – अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द से पत्थरगढी कराई तथा उक्त पत्थरगढी मे पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा वादी की आराजी नम्बर 416 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा मेसे 18 बिस्वा पर प्रतिवादी ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है । जो वादी के खातेदारी अधिकार की है , पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का पाया गया है । अतः वादी को उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करावे तथा प्रतिवादी गण को वादी की खतेदारी आराजी से बेदखल करा वादी को कब्जा पुनः सिपूर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादर फरमाई जावे ।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 05.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन /नोटिस मामले मे वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया । प्रतिवादी गण संख्या 01 से 03 सूचित होने के बावजुद भी नियत सुनाई पर अनुपस्थित रहने व विहित समयावधी में जवाबदावा प्रस्तुतीकरण में असमर्थ रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्य वादी चरण हेतू नियत किया गया । वादी की शहादत मे वादी की और से प्रस्तुत गवाह स्वय वादी के शपथपत्र पर पी. डबल्यू –1 का अंकन किया गया एंव संलग्न चालु जमाबन्दी पटवारी पर्चा मोका रिपोर्ट क्रमश प्रदर्श 1 से 4 है ।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एक पक्षीय सुनी गई तत्पश्चात् बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित कलमो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा वादी की आराजी नम्बर 416 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा मेसे 18 बिस्वा पर प्रतिवादी ने अनाधिकृत कब्जा पाया गया है तो उस भु–भाग को से अपना अतिक्रमण हटा कर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने पर सहमति व्यक्त की है । इस प्रकार वादी वादपत्र विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वीकार कर इस प्रकार फैसल किया जाता है कि ग्राम चमनपुरा पटवार चमनपुरा में वादी की आराजी नम्बर 416 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमो चिन्हो से नपती की जावे तथा नपती उपरान्त यदि वादी के हक एंव हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 से वादी को सिपुर्द किया जावे तथा वादी के खातेदारी हक एंव हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एंव हस्तक्षेप नही करे । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे । आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित दिया जाता है कि मौके पर नपती के संबध में पक्षकारान को न्यूनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हो से नपती की जावे । यदि वादी के हक हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावे तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे । उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)

दिवाशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

(आदेश 20 व नियम 06 व 07 जा.दी.)

प्रकरण संख्या 53/2019
दायर दिनांक 05/09/2019
निर्णय दिनांक 31/12/2020

अनवान

1. राकेश कुमार पुत्र श्री सुर्यप्रकाश ब्राहम्ण निवासी बनेडा तहसील बनेडा हाल मुकाम भीलवाडा जिला भीलवाडा

बनाम वादी

1. जेठु दरोगा पिता माधु दरोगा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज0
2. शंकर पिता माधु दरोगा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज0
3. लाली पत्नि पप्पू दरोगा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मुरारी जोशी वादी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वीकार कर इस प्रकार फैसल किया जाता है कि ग्राम चमनपुरा पटवार चमनपुरा में वादी की आराजी नम्बर 416 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमो चिन्हो से नपती की जावे तथा नपती उपरान्त यदि वादी के हक एंव हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 से वादी को सिपुर्द किया जावे तथा वादी के खातेदारी हक एंव हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एंव हस्तक्षेप नही करे । खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे । आदेश की पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित दिया जाता है कि मौके पर नपती के संबध में पक्षकारान को न्यूनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हो से नपती की जावे । यदि वादी के हक हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावे तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
दिवांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

यह डिक्री आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
दिवांशु शर्मा